उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000)

THE UTTAR PRADESH PLASTIC AND OTHER NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (REGULATION OF USE AND DISPOSAL) ACT, 2000

(U.P. Act No. 29 of 2000)

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2011

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 29 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की तथा उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 1 नवम्बर, 2000 को प्रकाशित हुआ।]

प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा के [2][विनियमन] करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक की व्यवस्था करने के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा [2][विनियमन] अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

(2) यह 11 जुलाई, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,–

(क) ''जीव नाशित कूड़ा–कचरा'' का तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है;

(ख) ''खाद्य'' का तात्पर्य ऐसे किसी पदार्थ से है जो खाद्य या पेय के रूप में मानव उपयोग के लिए उपयोग में लाया जाता हो, और इसके अन्तर्गत औषधि, जल, दुग्ध, दुग्ध–उत्पाद, मांस, मछली, फल, सब्जी, कोई पदार्थ जो सामान्यतया मानव खाद्य की रचना या निर्माण में मिश्रित होता हो, या उपयोग में लाया जाता हो, और कोई वासक या स्वादवर्द्धक पदार्थ भी है;

(ग) ''गृह–पथ'' से तात्पर्य है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी जो नाली के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, नलकूप अथवा पसीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुंचाने के लिये उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा जहाँ से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग देने के लिए निर्मित की गयी हो, अलग कर दी गई हो, अथवा उपयोग में लायी जाती हो;

(घ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है;

(ङ) ''बाजार'' के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान भी है जहां लोग मानव उपयोग या उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जी, खाद्य या अन्य कोई खाद्य या अखाद्य सामग्री या माल का विक्रय या क्रय करने के लिए एकत्र होते हैं;

---

1. उद्देश्य व कारण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) ''जीव अनाशित कूड़ा–कचरा'' का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है;

(छ) ''अधिभोगी'' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(एक) कोई व्यक्ति जो स्वामी को, तत्समय उस भूमि या भवन का किराया या किराये के किसी अंश का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है जिसके सम्बन्ध में ऐसे किराये का भुगतान किया जाता है या देय है;

(दो) कोई स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभाग कर रहा हो या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(तीन) किसी भूमि या भवन का किराया मुक्त किरायेदार;

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग या अधिभोग के लिए उसके स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी हो, या

(पांच) कोई लाइसेन्सधारी जिसके अधिभोग में कोई भूमि या भवन हो;

(ज) ''स्वामी'' का तात्पर्य–

(एक) जब किसी परिसर के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाये, जो उस व्यक्ति से है जो उक्त परिसर का किराया प्राप्त करता हो या जो परिसर के किराये पर दिये जाने पर उसका किराया प्राप्त करने का हकदार हो और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(क) कोई अभिकर्ता या, न्यासी जो स्वामी की ओर से ऐसा किराया प्राप्त करता हो,

(ख) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए समर्पित किसी परिसर का किराया प्राप्त करता हो, या उस परिसर से न्यस्त या सम्बन्धित हो,

(ग) उक्त परिसर का प्रभार लेने के लिए या स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने हेतु सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर, परिवद्धकर्ता या प्रबन्धक, और

(घ) कब्जा रखने वाला कोई बन्धकदार।

(दो) जब किसी जानवर, वाहन या नौका के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाय तो जानवर, वाहन या नौका के स्वामी से है और उसके अन्तर्गत जानवर, वाहन या नौका का तत्समय प्रभारी व्यक्ति भी है;

(झ) ''स्थान'' का तात्पर्य किसी भूमि या भवन के भाग से है और इसके अन्तर्गत भवन या भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, जमीन या वहिगृह, यदि कोई हो, भी है;

(ञ) ''लोक पर्यवलोकन के लिये खुला स्थान'' के अन्तर्गत कोई निजी स्थान, भवन या स्मारक, बाड़ या छज्जा भी है जो किसी सार्वजनिक स्थान में से या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को, दिखाई देता हो;

(ट) ''प्लास्टिक'' का तात्पर्य संम्लिष्ट पालीमेरिक पदार्थ से है और इसके अन्तर्ग्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई सामग्री भी है;

(ठ) ''लोक विश्लेषक'' का तात्पर्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावणित प्रयोगशाला के सम्बन्ध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति से है;

(ठ) ''सार्वजनिक स्थान'' का तात्पर्य जनता के उपयोग और उपभोग के लिये खुले किसी स्थान से है चाहे जनता द्वारा उसका वास्तव में उपयोग या उपभोग किया जाता हो या नहीं और इसके अन्तर्गत सड़क, मार्ग, मण्डी, गृह–पथ, या रास्ता चाहे वह आम रास्ता हो या न हो, और कोई अन्य स्थान जहां जनता का प्रवेश अनुमति हो या आने–जाने का अधिकार हो या जिस पर उन्हें जाने का अधिकार हो, भी है।

सार्वजनिक नालियों और मल नालियों में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फैलने पर प्रतिबन्ध

3–(1) कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा या दूरसे व्यक्ति द्वारा या किसी भी साधन से जानबूझ कर या अन्य या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, संवातन शाफ्ट, पाइप और फिटिंगों में कोई जीव अनाशित कूड़ा–कचरा या जीव नाशित कूड़ा–कचरा, जीव अनाशित थैला या पात्र में नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा, जिसे निम्नलिखित की सम्भावना हो :–

(एक) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुँचने की,

(दो) नाली और मल पदार्थ के निर्वाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की, और

(तीन) खतरनाक होने या उपताप कारित करने या जन–स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की।

(2) कोई व्यक्ति जानबूझकर अन्यथा सिवाय ऐसे प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपाय के पालन करने के पश्चात् जैसे विहित किये जायं, कोई जीव नाशित या जीव अनाधित कूड़ा–कचरा किसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे स्थानों पर जो जनता के पर्यवलोकन के लिए खुला हो, नहीं रखेगा या रखने की अनुज्ञा नहीं देगा,

(क) कूड़ा–कचरा को किसी ऐसे कूड़ा–कचरा पात्र में जो उसके लिए मुहैया कराया गया हो, नहीं डाला जाता हो; या

(ख) किसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कूड़े–कचरे के व्ययन के लिए पूर्वनिर्दिष्ट किये गये स्थान में कूड़ा–कचरा जमा न किया गया हो।

कतिपय स्थानों पर प्लास्टिक के विक्रय और उसके उपयोग पर प्रतिबंध

[1][**3–क**–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अथवा अन्यथा प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी रूप में ऐसी नदी या स्थान जिसमें सरोवर और छोटी नदी भी है, से ऐसी दूरी के भीतर, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, किसी सार्वजनिक स्थान दुकान या प्रतिष्ठान में किसी भी प्रयोजन के लिए विक्रय, उपयोग नहीं करेगा या विक्रय या उपयोग की अनुमति नहीं देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नदी, सरोवर या छोटी नदी एक से अधिक जिला से होकर बहती हो वहां राज्य सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न दूरियां अधिसूचित की जा सकेंगी।]

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों, की व्यवस्था करना

4–स्थानीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह,–

(क) जीव अनाशित कूड़े–कचरे को स्थाई तौर पर जमा या संग्रहण करने के लिए उचित और सुविधाजनक स्थिति में सार्वजनिक कूड़ेदान रखे या संग्रह स्थानों या जगह की व्यवस्था करें ;

(ख) जीव नाशित कूड़े–कचरे को जमा करने के लिए रखे गये और अनुरक्षित से भिन्न जीव अनाशित कूड़ा–कचरा को अस्थाई रूप से जमा करने के लिए अलग से कचरा पेटियों की व्यवस्था करें;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2011 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(ग) इस धारा के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये या नियत किये गये सभी स्थानों पर कूड़ेदानों और ढेर संग्रह स्थानों की अन्तर्वस्तु को हटाने की व्यवस्था करना ; और

(घ) संग्रहित जीव अनाशित कूड़े–कचरे का पुनः चक्रण का प्रबन्ध करना।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा आदि को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्त्तव्य

5–सभी भूमि भवनों के स्वामियों और अधिभूमियों का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगाः–

(क) अपनी–अपनी भूमि और भवनों से जीव अनाशित कूड़ा–कचरा एकत्रित करना या करवाना और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा एकत्रित करने या अस्थाई तौर पर जमा कराने हेतु उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक कूड़ेदानों, संग्रह स्थानों में जमा करना या करवाना,

(ख) जीव अनाशित कूड़े–कचरे को जमा करने के लिए रखी गयी और अनुरक्षित से भिन्न ऐसी भूमि या भवनों से सभी जीव अनाशित कूड़े–कचरे के संग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार के और रीति में अलग–अलग कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और ऐसे कूड़ादानों और कचरा पेटियों को अच्छी हालत में रखना और उसकी मरम्मत करना।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा को हटाने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति

6–स्थानीय प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जीव अनाशित कूड़े–कचरे का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया हो और जिससे किसी न्यूसेन्स का कारण बनने की सम्भावना हो, स्वामी या अधिभोगी या अंशतः स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढेर लगाये गये या संग्रहीत कूड़े–कचरे को हटाये या हटावाने की अपेक्षा कर सकता है और यदि उसकी राय में जीव अनाशित कूड़े–कचरे के ऐसे ढेर या संग्रहण से जल निकास या मल वहत प्रणाली के अवरुद्ध होने की या जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना हो तो वह तत्काल ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर ऐसे आवश्यक कदम उठाएगा जैसा वह आवश्यक समझे।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

[1]**[6क**–(1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति के पास समस्त युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जैसा कि वह आवश्यक समझे, किसी स्थान में निम्नलिखित के लिए प्रवेश करने का अधिकार होगा –

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये किसी कृत्य का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए; या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए क्या और यदि ऐसा है तो किस रीति से ऐसे किसी कृत्य का निष्पादन किया जाना है अथवा क्या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के किसी उपबन्ध या इस अधिनियम के अधीन तामिल की गयी, दी गयी या प्रदान की गयी किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन किया जा रहा है या किया गया है, या

(ग) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारभूत वस्तु का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए, अथवा ऐसे किसी भवन की तलाशी करने के लिए, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारभूत वस्तु का अभिग्रहण करने के लिए, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) किसी जीव अनाशित प्लास्टिक सामग्री या जीव अनाशित कूड़ा–कचरा का प्रबंध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को, उस उपधारा के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए समस्त सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा और यदि वह विफल रहता है तो इस अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने की भागी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में विलम्बित करता है या व्यवधान डालता है तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने का दायी होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण हेतु उसी प्रकार से लागू होंगे जैसा कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किसी वारंट प्राधिकारी के अधीन की गयी किसी तलाशी या अभिग्रहण हेतु लागू होते हैं।

(5) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत कोई जीव अनाशित कूड़ा–कचरा, प्लास्टिक या जीव अनाशित सामग्री का निस्तारण, उसी रीति के किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।][1]

प्लास्टिक के उपयोग का निषेध

[2]**[7**–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ऐसे प्लास्टिक या अन्य जीव अनाशित सामग्री या तत्समान सामग्री, जैसा कि वह उचित समझे, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर सकती है।**]**

शास्तियां

[3]**[8**–(1)जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में उपयोग करता है या उपयोग करने हेतु दुष्प्रेरित करता है, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ, जो एक माह तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये तक हो सकता है और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो छः मास तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात करेगा अथवा विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ, जो छः माह तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो एक वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई धारा 3 या धारा 3–क का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसे जुर्माने के साथ जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो एक माह तक हो सकती है अथवा ऐसे जुर्माने के साथ जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।**]**

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

कम्पनियों द्वारा अपराध

9–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का कारबार चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो अपराध करने का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्डित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था पर उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उप धारा की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित सिद्ध हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है या अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और तद्नुसार उसे दण्ड दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनों के लिए :–

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदारी से है।

अपराधों का संज्ञान

10–कोई न्यायालय स्थानीय प्राधिकारी के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किये गये लिखित परिवाद पर के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

प्रक्रिया

11–(1) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे विचारण पर लागू होंगे।

अपराधों का शमन

12–इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध [1]**[**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारियों द्वारा**]** जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायें, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के, [2] **[**जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाय**]** जो अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक न हो, वसूल किये जाने पर प्रशमित किया जा सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन ;

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतन्त्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति

13–राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी की ऐसे निर्देश दे सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हो और जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे और स्थानीय प्राधिकारी ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

[1][**13क**–इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार किसी क्षेत्र में अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां व कर्त्तव्य, राज्य सरकार द्वारा गठित किसी निकाय या प्राधिकारी को प्रदत्त कर सकती है और ऐसे निकाय या प्राधिकारी को ऐसे क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के रूप में समझा जायेगा।]

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति

14–राज्य सरकार, लोक विश्लेषक से परामर्श करने के पश्चात् अनुसूची को, अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझाी जायेगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति

15–राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि नियम बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोगतथ्य किसी भी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, किया जा सकेगा।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

16–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अन्य विधि प्रभावित न होगी

17–इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त है और उसके अल्पीकरण में नहीं है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) [2][x x x x x]

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है।

नियम बनाने की शक्ति

19–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2011 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।

निरसन और अपवाद

20–(1) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिश्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

[धारा–2 (ट) देखिए]

[1][प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री]

1–पालीथीन

2–नायलन

3–पी0 वी0 सी0

4–पाली प्रापिलीन

5–पाली–स्टाइरीन

[2][6–थर्मोकोल]

उद्देश्य और कारण

प्रदूषण और लोक स्वास्थ्य के खतरे को रोकने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि राज्य में प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा के उपयोग और निस्तारण का विनियमन करने के लिये विधि बनायी जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जून, 2000 को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अध्यादेश, 2000 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2000) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 8(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 2018 की धारा 8(ख) द्वारा बढ़ाया गया।